[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग ।।,खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

नई दिल्ली, तारीख 18 अगस्त, 2017

अधिसूचना सं0 73/2017-सीमा शुल्क

सा0का0नि0 (अ)- केन्द्रीय सरकार सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्‌वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं0 60/2011- सीमा शुल्क, तारीख 14 जुलाई, 2011, सा.का. नि. 536(अ), तारीख 14 जुलाई, 2011, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग ।।, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित हुई थी, में निम्नलिखित और संशोधन करती है अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना में,

(i) खंड (ii) में निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"(ii) यह अधिसूचना बांग्लादेश में उत्पादित ऐसे माल पर लागू होगी जो किसी व्यक्ति द्‌वारा सीमा हाट से भारत में ऐसी मात्रा में लाया जाए जो व्यक्तिगत या परिवार के वास्तविक सेवन के लिये उचित हो और जिसका एक दिन के दौरान अनुमान कुल मूल्य 200 अमरीकी डालर से अधिक न हो ।"

(ii) सारणी में, -

(क) क्रम सं0 3 के सामने, स्तंभ (2) में निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"स्थानीय कुटीर उद्‌योग के उत्पाद जैसे गमछा, लुंगी, साडी और अन्य स्थानीय रूप से उत्पादित हथकरघा उत्पाद",

(ख) क्रम सं0 5 के सामने, स्तंभ (2) में निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"स्थानीय वस्त्र उत्पाद, मेलामाइन उत्पाद, प्रसंस्कृत खाद्‌य पदार्थ, फल, जूस, टॉयलेटरीज़, कोस्मेटिक, प्लास्टिक उत्पाद, एल्युमीनियम उत्पाद, कुक्रिज़, स्टेशनरी।"

(फा.सं.354/205/2014-टीआरयू)

(रूचि बिष्ट)

अवर सचिव, भारत सरकार

टिप्पण: मूल अधिसूचना सं0 60/2011-सीमा शुल्क, तारीख 14 जुलाई, 2011, सा.का.नि. 536 (अ), तारीख 14 जुलाई, 2011 द्‌वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग ।।, खंड 3, उपखंड (i) द्‌वारा प्रकाशित की गई थी और उसमें अंतिम संशोधन भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग ।।, खंड 3, उपखंड (i) द्‌वारा अधिसूचना सं. 36/2015-सीमा शुल्क, तारीख 4 जून, 2015 सा.का.नि. 455(अ), तारीख 4 जून, 2015 द्‌वारा किया गया था ।